

(26/8/2021)
पार 01

प्रश्न सं. [क. 6575]

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 462003

क्र/50-2/आईसीडीएस/2019/3003/212/2018/50-2 भोपाल, दिनांक 27/6/19

संशोधित आदेश

भारत सरकार के पत्र क्रमांक No.11-36/2016-CD-I, Dated 20th September, 2018 द्वारा 01 अक्टूबर 2018 से निम्नानुसार ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ऑगनवाड़ी सहायिकाओं एवं उप ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देय मानदेय में निम्नानुसार वृद्धि की गई है-

तालिका -1 (राशि रुपये में प्रतिमाह)

क्र.	पदनाम	01 अक्टूबर 2018 से पूर्व देय मानदेय	नवीन मापदण्ड अनुसार 01 अक्टूबर 2018 से देय मानदेय
1	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता	3000/-	4500/-
2	ऑगनवाड़ी सहायिका	1500/-	2250/-
3	उप ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता	2250/-	3500/-

उपरोक्त वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए क्रमांक...../212/2018/50-2: राज्य शासन एतद् द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1652/212/2018/50-2 दिनांक 12.07.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए, ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता/ऑगनवाड़ी सहायिका एवं उप ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय/मानदेय में दिनांक 01 अक्टूबर 2018 से निम्न मापदण्डों के अनुरूप देय होगा-

तालिका -2 (राशि रुपये में प्रतिमाह)

000	पदनाम	वर्तमान में (01 अक्टूबर 2018 से पूर्व) देय अतिरिक्त मानदेय/ मानदेय			01 अक्टूबर 2018 से देय अतिरिक्त मानदेय/ मानदेय		
		अतिरिक्त मानदेय (यत् प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय)	मानदेय (केन्द्र का 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 40 प्रतिशत)	कुल देय अतिरिक्त मानदेय व मानदेय (को.3+4)	01 अक्टूबर 2018 से देय अतिरिक्त मानदेय (यत् प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय)	01 अक्टूबर 2018 से देय मानदेय (केन्द्र का 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 40 प्रतिशत)	नवीन मापदण्ड अनुसार कुल देय अतिरिक्त मानदेय+मानदेय (को.6+7)
		3	4	5	6	7	8
1	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता	7000/-	3000/-	10000/-	5500/-	4500/-	10000/-
1	ऑगनवाड़ी सहायिका	3500/-	1500/-	5000/-	2750/-	2250/-	5000/-
2	उप ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता	3500/-	2250/-	5750/-	2250/-	3500/-	5750/-

उपरोक्तानुसार तालिका-2 के कॉलम 6 व 7 अनुसार कमशः अतिरिक्त मानदेय एवं मानदेय 01 अक्टूबर 2018 से नवीन मापदण्ड अनुसार देय होगा।
यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 264/219 दिनांक 24/6/19 मध्यप्रदेश महालेखाकार ग्वालियर को दो प्रतियों सहित पृष्ठांकन की गई है।
मध्यप्रदेश के राज्यपालन के नाम से तथा आदेशानुसार

24-6-19
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

(पी.के.ठाकुर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

अनुभागाध्यक्ष
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

परि. 1

पृष्ठांकन क्र./मबावि/आईसीडीएस/2019/3004/112/18/56-2 मोपाल, दिनांक 27/6/19
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान.मन्त्री जी, म.प्र.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, खालियर की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग
4. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास संचालनालय
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला समस्त, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, समस्त परियोजना, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी-2/गार्ड फाईल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
21.6.19
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग